

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 - 7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

वाद अन्तर्गत धारा;— 53,88 आर.टी.ए.

प्रकरण सं.460/2023

अनुवान मुकदमा

1. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्रीअमरीक सिंह, जाति जटसिख निवासी—मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्रीअमरीक सिंह, जाति जटसिख निवासी—मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्रीअमरीक सिंह, जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।

---वादीगण

बनाम

1. कपूर सिंह पुत्र केहर सिंह, जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
2. भाग सिंह पुत्र केहर सिंह, जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
3. हजूर सिंह पुत्र केहर सिंह, जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
4. जंग सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तह संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज0।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं विभाजन

दिनांक... 9.9.2024

यह राजस्व वाद आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्टाई रोबरू हमारे बहाजरी कुलदीप सिंह संसा वकील वादीगण व एक पक्षीय प्रतिवादीगण मिम जामिन मुदाइला पेश होने पर बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादपत्र डिक्री करने पर अभिभाषक वादीगण ने सहमति दी है। अतः तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण के वाद में अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं। अतः यह अन्तिम डिक्री पारित कर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि—

क—वादीगण सुखजिन्द्र सिंह, बलजिन्द्र सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्रगण स्व. श्रीअमरीक सिंह को चक 13 ए.एम.पी. के वर्तमान खाता सं. 34/50 के प.न. 148/172 के मु.न. 58 के कि. म. 1/1/0.228, 1/2/0.025 है. गै.मु., 10/0.253 हैक्ट. कुल 0.506 हैक्ट. बहि. ब. 1/3 हि. नहरी मय गै.मु., कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी आशय का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

ख—कि अन्य प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाश्त के अभाव में उक्त खाता में से कलमजन किया जावे।

सुखजिन्द्र सिंह एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया


यदि कोई वादी/प्रतिवादी बैंक रहन रखी आराजी विभाजन में प्राप्त करते हैं तो बैंक रहन चुकता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अमल दरामद हो, इसी प्रकार से भू राजरव कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।


निज निल मुदितक निल बाबत

निल खर्चामुकदतें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख

बपूलखबी तक को अदा करे।

डिक्री आज दिनांक 9 $\frac{9}{24}$ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।




(राकेश कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया।